पत्रावली पेश हुई वकील उपस्थित। 3-5-17 के पश्चात दिनांक 8-5-17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प नारायणपुर पर पेश हो। पक्षकारों को नोटिस जारी किया जावे।

(ह०)

1052
3-5-17

8-5-2017 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प नारायणपुर पर पेश हुई। वादी रामचीज व प्रतिवादी राजाराम उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि विवादित भूमि ख०नं० $\frac{964}{0.55}$, $\frac{965}{0.16}$ ग्राम टहलवाड़ा का सीमाज्ञान नायब तहसीलदार के नेतृत्व में गठित गिरदावर व पटवारी हल्का की टीम मौके जाकर भूमि का सीमाज्ञान करादे और चिन्हों से दोनों पक्षों को अवगत करादे। सीमाज्ञान हेतु यदि दूसरी तहसील सपोटरा के सीमाज्ञान की आवश्यकता हो तो इस बाबत तहसीलदार सपोटरा को भी सीमाज्ञान हेतु टीम गठन हेतु लिखा जावे व सीमाज्ञान कराया जावे। सीमाज्ञान होने तक दोनों पक्ष मौके की यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हैं।

रामचीज
राजाराम

प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया व पक्षकारों को सुना गया, समझाया गया। पक्षकारों में मुख्य विवाद भूमि की सीमा को लेकर है जिसका समाधान सीमाज्ञान ही है। अतः दावा वादी इस प्रकार निर्णीत किया जाता है कि नायब तहसीलदार तलावड़ा, गिरदावर तलावड़ा व पटवारी नारायणपुर भूमि ख०नं० $\frac{964}{0.55}$, $\frac{965}{0.16}$ ग्राम टहलवाड़ा की मौके पर नाप कर एक माह में पक्षकारों का सीमाज्ञान करवा देवें। भूमि चूंकि तहसील सपोटरा की सीमा पर स्थित है अतः नाप के समय तहसीलदार सपोटरा की ओर से सम्बन्धित गिरदावर, पटवारी भी

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	सहयोग हेतु उपस्थित रहे। इस हेतु तहसीलदार सपोटरा को भी निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। सीमाज्ञान होने तक दोनों पक्ष उपरोक्त विवादित भूमि की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(बाबूलाल जाट)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) नारायणपुर

पीठासीन अधिकारी-: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

रामचीज पुत्र श्रीचंद मीना, निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

राजाराम पुत्र श्री सांवलियॉ मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
मदनमोहन पुत्र श्री राजाराम मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
––प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 68/2016

वादी की ओर से वादी रामचीज की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी राजाराम की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 8.5.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार नायव तहसीलदार तलावडा को आदेशित किया जाता है कि उनकी अध्यक्षता मे एक टीम का गठन करे जिसमे गिरदावर कानूनगो व पटवारी नारायणपुर होवे। उक्त टीम भूमि ख0न0 964 रकबा 0.55 हेक्टर, 965 रकबा ... हेक्टर ग्राम टटवाडा की मौके पर नाप कर एक माह मे पक्षकारो को भूमि का सीमाज्ञान करा दे तथा भूमि चूकि तहसील सपोटरा की सीमा पर स्थित है। अतः नाप के समय तहसीलदार सपोटरा की ओर से सम्बधित गिरदावर, पटवारी सहयोग हेतु उपस्थित रहे। इस हेतु तहसीलदार सपोटरा को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावें। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 8.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हस्ताक्षर)
बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वकालतनामे के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प ______रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील	—	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	—
जोड		जोड	

(4)

शा० हे
8-5-2017
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रपत्र—1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं परेना साहायक कलक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान ....नारायणपुर........

नम्बर मुकदमा........68/16 , दावा........

उनवान मुकदमा........रामचंद्र........

बनाम

राजाराम वगैरह

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

रामचंद्र

स्थान........नारायणपुर

दिनांक........8/5/16........

राजाराममील

समक्ष उपखण्ड अधिकारी एवं ... (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान : नारायणपुर

(5)

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय

दिनांक 8/5/17

कैम्प - नारायणपुर

नानचीज बनाम राजाराम वगैरह

प्रकरण संख्या 68/16 अन्तर्गत धारा 183, 188 R.T. Act

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री रामचीज पुत्र मीचन्द

... कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो ... हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके है। ... आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है कि विवादित खसरा ख.नं. 964 ... 55 है० व ख.नं. 965 रकबा 16 बिस्वा ग्राम - ... का सीमाज्ञान ... [illegible]

... निवेदन है कि हमारा राजीनामा ... मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

राम चीज प्रतिवादी पक्ष 1. राजाराम मीणा

2. ...

3. ...

4. (हस्ताक्षर) कार्यवाहक पटवारी ... नारायणपुर

सीताराम मीना सरपंच ग्राम पंचायत नारायणपुर टटवाड़ा जिला गंगापुर सिटी (स०मा०)

... के हस्ताक्षर पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ...

नाम ... (प्रतिवादी पक्ष) नाम ...

... वादी रामचीज पुत्र मीचन्द एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी राजाराम पुत्र सांवलिया

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर तर्दीक की ... अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(हस्ताक्षर) (स० सदस्य) (हस्ताक्षर) (स० सदस्य)

(... कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(बाबूलाल जाट) पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर